न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि न्याय एवं संचिका के सिद्वि प्राप्त तथ्यों से सर्वधा विपरीत है–रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा रास्ते की भूमि पर दीवार बनाने से बारिश का पानी अपीलान्ट के खेत में भरजाता है जिससे समस्त फसल गल जाती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 34 निरस्त फरमाकर ख0न0 14 की 1 बीघा 1 बिस्वा का आवंटन निरस्त किया जावे।

अपील अन्दर मियाद दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री रामबाबू माहेश्वरी द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील अपील मेमों में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज न कर सीधे ही नियम विरूद्व खातेदारी में दर्ज की गई जो कतई न्याय संगत नही है–उक्त आवंटित आराजी अपीलान्ट की आराजी में आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग में हमेशा से आती रही है–जिस पर अपीलान्ट द्वारा दीवार खड़ी कर अपीलान्ट का रास्त बंद कर दिया तथा बरसात का पानी भी दीवार के कारण अपीलान्ट के खेत में भरजाता है, जिससे अपीलान्ट की 20 बीघा भूमि की फसल खराब हो जाती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.1983 निरस्त फरमाया जावे। विद्वान वकील रेस्पा0 नं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि उक्त आराजी रेस्पो0 नं0 1 व 2 को आवंटन होने से उनकी खातेदारी में दर्ज की गई हैं जो नियमानुसार सही है–अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर रेस्पों0 नं0 1 व 2 को राहत प्रदान की जावें। वकील अपीलान्ट द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त आराजियात के मोका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार खानपुर से प्राप्त की जावे। इस पर हमारे द्वारा तहसीलदार खानपुर से प्रश्नगत आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने खेत ख0न0 15 ग्राम भदकड़ी की तीन दिशाओं में तीन गॉवों की सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है–पूर्व दिशा में में ख0न0 18 गै0मु0 नाला ग्राम भदकड़ी को काश्त कर अपने खेत में मिला लिया है–दक्षिण दिशा में भी ख0न0 18 गै0मु0 नाला ग्राम भदकड़ी तथा ख0न0 14 ग्राम मूण्डला की चारागाह पर कब्जा कर नाला ख0न0 14 किस्म चारागाह एवं अपीलान्ट के खेत की सीमा में अन्दर निकाल कर ख0न0 268 ग्राम फदानिया में होकर निकाल दिया है, तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण को रास्ता ख0न0 268 में बनाये गये नाले की सीमा के साथ–साथ काम में लिया जा सकता है अर्थात अपीलान्ट का रास्ता तो मुख्य मार्ग ग्राम भदकड़ी–फदानिया से ख0न0 15/587 में पहूॅचने का यही पर है यह स्पष्ट है। जिस पर वकील अपीलान्ट द्वारा कहा गया कि रेस्पो0 द्वारा ख0न0 268 ग्राम फदानिया की चारागाह भूमि में नाला खोद कर एवं ख0न0 14, 15 के सहारे मिट्टी से मेडबन्दी करवाये जाने के कारण रास्ता अवरूद्व हो गया है–खोदे गये नाले के पूर्व में ख0न0 14, 15 एवं ग्राम भदकड़ी की रेस्पो0 की आराजी स्थित है जिस पर रास्ता मिल रहा था–नाले के पश्चिम में लगभग 40–45 साल पुराने युकेलिपिस्टीक के 60–70 पेड़ मौजूद है, तहसीलदार सा0 ने अपनी रिपोर्ट में यह नही दर्शाया है–उक्त रास्ते के बाबद एक वाद आरटीएक्ट की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी खानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है–रास्ते के काम में आ रही भूमि की राशि डीएलसी की दुगनी अपीलान्ट को रेस्पो0 को भुगतान करना पड़ेगी तो यह अपीलान्ट के साथ ज्यादती होगी। उक्त भूमि आवंटन बाबत भी रेस्पो0 द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

07.02.1983 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को राहत प्रदान की जावे। वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी लिखित बहस में अनुरोध किया गया कि नामान्तकरण फिजिकल कार्यवाही है इससे अधिकारों का विनिश्च नही होता है साथ ही अपीलान्ट किस प्रकार से एग्रिविड है यह भी कही दर्ज नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस वकील उभय पक्ष पर गौर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम भदकड़ी तहसील खानपुर के नामान्तकरण सं0 34 जिस पर हल्का पटवारी द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने की रिपोर्ट अंकित की गई है, परन्तु उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नही किया गया कि आवंटन किस दिनांक को किया गया है साथ ही तहसीलदार खानपुर द्वारा भी गैर खातेदारी के स्थान पर सीधे ही प्रश्नगत आराजी खातेदारी में दर्ज कर देना संदेहास्पद है। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा भी इस बाबत कोई ऐसे दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये जिनसे साबित हो सके कि उक्त आराजी पूर्व में रेस्पोडेन्टस को आवंटन/गैर खातेदारी में होने से नामान्तकरण सं0 34 दिनांक 17.02.1983 से खातेदारी में दर्ज की गई। इसलिये हम उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज कर दिया जाए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.1983 नामा0 सं0 34 ग्राम भदकड़ी तहसील खानपुर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार खानपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टस ने गै0मु0नाला,चारागाह एवं अपीलान्ट की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है–उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार खानपुर को पृथक से पत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिह पालावत)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 102/16/अपील/ तारीख दायरा 05.10.2016

कंचन बाई पत्नि मांगीलाल जाति मीणा निवासी भदकड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ हाल मकान नं0 2 ए गली नं0 6 सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़ कोटा जरिये मुख्तार आम रामदयाल आ0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी भदकड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ हाल मकान नं0 2 ए गली नं0 6 सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़ कोटा।

------अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगलाल आ0 प्रताप जाति मीणा निवासी भदकड़ी तहसील खानपुर।
2. धन्नालाल आ0 प्रताप जाति मीणा निवासी भदकड़ी तहसील खानपुर।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर।

------रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी निर्णय न्यायालय तहसीलदार खानपुर दिनांक 17.02.1983 नामा0 सं0 34 अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितः— 1. श्री श्याम सुन्दर द्वितीय वकील अपीलान्ट
2. श्री रामबाबू माहेश्वरी वकील रेस्पोडेन्टस

—: निर्णयः— दिनांकः— 26.12.2017

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार खानपुर के निर्णय दिनांक 17.02.1983 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भदकड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ में खसरा नम्बर 14 की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म बंजड़ चली आ रही है—जिस पर रास्ता चला आ रहा था जिसको रेस्पो0 नं0 1 व 2 नें उक्त भूमि अपनी भूमि के पास की छोटी पट्टी बता कर अवैध रूप से आवंटन करवाली जिसे रेस्पो0 नं0 3 ने गैर खातेदारी के स्थान पर सीधी खातेदारी करने के आदेश दिनांक 17.02.1983 पारित कर नामान्तकरण नं0 34 तस्दीक कर दिया जो गलत है—उक्त आवंटन एवं नामान्तकरण मजमे आम में तस्दीक नही करने के कारण अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की जानकारी नही हो सकी । रेस्पों0 नं0 1 व 2 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर दिवार बनाकर रास्ते के अवरूद्व करने पर अपीलान्ट के खेत ख0न0 15/587 की 20 बीघा भूमि में आने का रास्ता बंद कर दिया गया इस पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पो0 नं0 1 व 2 को दीवार हटाने व भविष्य में रास्ता बंद नही करने हेतु कहा तो उसके द्वारा ख0न0 14 की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो नया ख0न0 14/220 उनको आवंटन होना बताया—अधीनस्थ

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)